# प्राक्कथन

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के अन्तर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों, जो 2016-17 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए और साथ ही वे मामले जो पूर्व के वर्षों में देखे गए लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके, का उल्लेख किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई है।